

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग

—: अधिसूचना :—

संचिका संख्या—6 / अ0—03—20 / 2020

पटना, दिनांक:—

श्रीमती अनिशा, राज्य-कर सहायक आयुक्त (63वीं0 बैच), गयाजी अंचल-2 गयाजी को उनकी प्रथम संतान हेतु बिहार सेवा (द्वितीय संशोधन) संहिता-2014 के नियम 220A के तहत दिनांक 01.09.2026 से 19.11.2026 कुल 80 दिनों का शिशु-देखभाल छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0 /—

(विजय कुमार)

सरकार के उप सचिव,

बिहार, पटना।

ज्ञापांक:—6 / अ0—03—20 / 2020 3345 पटना, दिनांक:—31/08/2026

प्रतिलिपि:—प्रधान महालेखाकार, वीरचंद पटेल, पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, गयाजी/राज्य-कर अपर आयुक्त (प्रशासन), मगध प्रमंडल, गयाजी/अंचल प्रभारी, गयाजी अंचल-2, गयाजी/नोडल पदाधिकारी, एच0 आर0 एम0 एस0, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/एच0आर मैनेजर (स्थापना), वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/वरीय प्रभारी, लेखा शाखा, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/आई0 टी0 मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना एवं श्रीमती अनिशा, राज्य-कर सहायक आयुक्त (63वीं0 बैच), गयाजी अंचल-2 गयाजी को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव,
बिहार, पटना।